साझा मंच बाहरी सम्पर्क
(नर्मदा घाटी आन्दोलन)

(नर्मदा घाटी आन्दोलन/मुम्बई पुनर्वास)

साझा मंच
2007

मेरा अपने आप में इस तरह के समूह के साथ कहीं बाहर जाकर सीखने का यह पहला अनुभव था। जब साझा मंच की मासिक बैठक में बाहरी अनुभवों के द्वारा एवं जनसंघर्षों के स्थान पर जाकर सीखने की बात हुई तो मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ, क्योकि पढ़ाई करते वक्त ''नर्मदा बचाओ आन्दोलन'' के बारे में काफी कुछ सुना था और पढ़ा था। मेरे स्लेबस में भी नर्मदा बचाओ आन्दोलन था। जिस विषय पर मैनें अपने टीचरों से सुना और ख़ुद पढ़ उसको नज़दीक से जानने और समझने का मौका मेरे लिए काफी अहमियत रखता है। आगे इसी प्रक्रिया में मुम्बई की पुनर्वास नीति एवं स्लम की स्थिति और वहां के लोगों की स्थिति क्या हुई पुनर्वास के बाद एवं एस.आर.ए. कहां तक लोक हित में है? इन सब सवालों पर टीम एक समझ बनाए ताकि मंच का दिल्ली में जो ''शहरी गरीबों के बीच'' काम कर रहा है एवं पुनर्वास नीति कैसे हो दिल्ली में क्या मुम्बई का अनुभव यहां मदद कर सकता है, के लिए 29 सदस्यों की टीम तैयार हुई।

बाहरी सम्पर्क में जाने वाले समूह में ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और कहीं जाने से पहले एक तैयारी बैठक ज़रूरी होती है इसलिए जाने से दो दिन पहले एक तैयारी बैठक हुई। जाने वाले सभी साथी बैठक में आए एवं 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' से साथी हिमांशु उपाध्याय भी आए। साथियों ने अपने–अपने परियच दिये एवं हिमांशु ने सभी को नर्मदा बचाओ आन्दोलन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर अमानवीय एवं गैर लोकतान्त्रिक तरीके से उनके प्राकृतिक अधिकार छीने जा रहे हैं। लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने प्राकृतिक अधिकारों को सुनिशिचत करने के लिए लेकिन लोगों के इस आन्दोलन को करीब से देखने पर पता चलता है कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग, जो करीब से संघर्षों को न देख कर या शामिल हो कर अपनी समझ बनाते हैं, उनको लगता है कि संघर्ष का रास्ता आसान है और लड़ाई भी आसानी से लड़ी जा सकती है। नर्मदा घाटी में 3 दिन अलग–अलग स्थानों पर बैठकों एवं लोगों से बातचीत करने के दौरान बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां भी मिली लेकिन उससे कहीं महत्वपूर्ण उनके संघर्ष की गाथा की रही कि सरकार की तरफ से फरमान आता है अचानक कि गांवों को जल्द खाली किया जाये, अत्यथा पानी में सब डूब जाएगा। सभी को पता है कि पानी गांव को डुबो देगा लेकिन फिर भी लोग शान्तिपूर्वक डटे हैं कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। औरतों ने कई दिनों तक पानी में खड़े हो कर अपना विरोध दर्ज किया और वहां पर एक मिसाल कायम की कि औरतें संघर्ष में पीछे नहीं हैं। वह लोग स्थानीय स्तरों पर तो रैलियों एवं धरनों में भागेदारी करती ही हैं साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पीछे नहीं रहती हैं। बैठकों में उन लोगों ने खुल कर कहा कि हम लोग अपने हक को पाने के लिए अपनी जान की परवा भी नहीं करेंगे और सरकार से आर–पार की लड़ाई लड़ेंगे। पुनर्वास की पूरे देश जो सच्चाई है वहीं यहां पर भी देखने को मिली कि जो भी सरकारी वादे थे वो सिर्फ बातें ही थी। उनको असली जामा नहीं पहनाया गया। लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया गया। विकास के नाम पर विनाश की हकीकत को पास से महसूस किया गया कि चन्द लोगों के फायदे (पूंजिपति वर्ग) के लिए घाटी की जनता को अनगिनत समस्याओं में फंसाया गया एवं उनके भविष्य को अन्धकार की गहरी खाई में भटकाव के लिए छोड़ दिया, भविष्य के हाथों में

तीन दिन घाटी में घूमने एवं सीखने की प्रक्रिया के बाद साझा मंच की टीम मुम्बई के लिए निकल पढ़ी। उस वक्त तक समूह के सदस्यों में आपसी तालमेल बना और आपस में बातचीत के सिलसिले की भी शुरूआत हुई एवं समूह के सदस्यों से उनके अपने काम के सम्बन्ध में भी सीखने और समझने की प्रक्रिया की सुचारू शुरूआत हुई। समूह के साथियों ने खंडवा से मुम्बई यात्रा के दौरान जो उनके संगठनों में काम करते वक्त खट्टे–मीठे अनुभव हुए हैं उस पर बातचीत हुई एवं ज़्यादातर लोगों ने घाटी के अनुभवों को भी आपस में बांटा।

वैसे तो मैं कइ बार मुम्बई गया हूं लेकिन उस वक्त एक पर्यटक की नज़र से मैंने मुम्बई को देखा और अपनी समझ का विस्तार भी उसी तरह से किया कि यह शहर सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। यहां ज़िन्दगी जीने की तमाम बेहतर सुविधाएं हैं, समूद्र, लोकल ट्रेन, चौड़ी सड़कें, बड़े–बड़े होटल, बड़े–छोटे बाज़ार, कारखाने, तमाम तरह के संसाधन विश्व स्तर के और तो और यह हमारे देश की आर्थिक तौर पर राजधानी है।

इस बार जब मैं साझा मंच के समूह के साथ मुम्बई गया तो देखा कि जो लोग असल में शहर को चलाते हैं वह लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। किस तरह से छोटी–छोटी मिले बन्द हो रही हैं एवं मज़दूर वर्ग पिस रहा है।

हम लोगों ने मुम्बई में कई झुग्गी बस्तियों को देखा और वहां के लोगों से बातचीत भी की। पहले तो हमसे बात करने में स्थानीय लोग झिझक रहे थे लेकिन कुछ वक्त साथ गुज़ारने के बाद लोगों ने खुल कर अपनी समस्याओं को बताया कि बुनियादी ज़रूरत जैसे पानी, बिजली, पानी की निकासी, अस्पताल, बच्चों की शिक्षा आदि का अभाव है और तो और स्थानीय दभंग लोग भी उन पर अपनी धोस जमाते हैं। शहर को शंघाई बनाया जा रहा है लेकिन लो जोग शहर को बना रहे हैं वो अपनी ज़िन्दगी कीड़े–मकौड़े की तरह जीने के लिए मजबूर है। गन्दे रास्ते, खुले नाले और जगह–जगह पर कूड़े का ढेर। नालों के ऊपर घर बने हैं, छोटे–छोटे बच्चे वहीं खेलते हैं, नालों में गिरते हैं जो कि काफी खतरनाक है लेकिन क्या करें यदि शहर में मज़दूर नहीं आएगा तो कहां जाएगा क्योंकि लोगों को गांवों में काम नहीं मिलता। यहां आकर उनको किसी न किसी तरह की मज़दूरी मिल ही जाती है। ऐसा लोगों ने बताया और अन्त में कहा कि कौन यहां रहना चाहता है। यदि हमको अपने गांवों में अच्छा काम मिलेगा तो हम अवश्य ही अपने गांव वापस जा कर काम करना पसंद करेंगे। वहीं पर जो छोटी–छोटी टैक्सटाईल्स फैक्टरियां थीं उनमें भी ताला लग गया है। उन स्थानों पर बड़ी–बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के आफिस खुल रहे हैं और फ्लैटस बन रहे हैं। मज़दूरों से रोज़गार छिन गया है। नए तरह के रोज़गार की राहें खुल रही हैं लेकिन वह सारे काम पढ़े लिखे एवं कुशल लोगों के लिए ही हैं। क्या हमारे देश में सभी लोगों को उच्च शिक्षा मिल रही है? हम लोग कई एस.आर.ए. की बिल्डिंगों में भी गए। यह वह बिल्डिंगें हैं जो झुग्गियों को उजाड़ कर वही पर बनाई गई हैं। एस.आर.ए. की सच्चाई यह है कि जहां पर लोगों ने संघर्ष किया वहां तो उनको ठीक सुविधाएं मिली और मेन्टेनेन्स का खर्च भी कम लगता है। लेकिन अधिकतर जगहों पर देखने एवं बातचीत के दौरान यह सच्चाई भी सामने आई कि फ्लैट के बांटने में भी धादली होती है एवं बहुत सारे लोगों की झुग्गियां तो तोड़ दी गई है लेकिन अभी भी उनको फ्लैट नहीं मिले हैं। लोग खुले आसमान के नीचे ज़िन्दगी जीने को मजबूर हैं। यह सवाल है कि जब परिवार, (जसमें हर उम्र के लोग होते हैं) खुले आसमान के नीचे रहता है तो उनको किन–किन मुसिबतों का सामना करना पड़ता है? एस.आर.ए. की पुरानी बिल्डिंगों में जा कर बात करने के बाद तो बहुत ही अजीब अनुभव हुआ। वो यह कि एक जगह पर सात मंज़िल की इमारत में बहुत सारे परिवार एक स्थान पर रहते हैं। इतनी भी जगह नहीं है कि लोग अपनी चप्पल बाहर उतार सकें या बच्चे भी बाहर खेल सकें। और यदि यह होता भी है तो बच्चे और चप्पल दोनों दूसरें के घरों में पहुंच जाते हैं। जिससे समय–समय पर गम्भीर स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लिफ्ट खुली होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बिल्डिंग के मेनटेन्स का भी खर्च बहुत अधिक आता है जिसे लोगों ने गम्भीर समस्या माना और कहा कि पहले की स्थिति ज़्यादा बेहतर थी। उस वक्त ज़मीन पर हमारा अपना अधिकार तो था। अपनी मर्ज़ी से परिवार के बढ़ने पर मकान को ऊंचा कर सकते थे लेकिन यहां तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस तरह की तमाम समस्याओं से पीड़ित हैं लोग वहां पर।

खट्टी मीठी यादें :–
नए लोगों से बातचीत और दोस्ती होना।
ट्रेन, ट्रक एवं बसों मे ज़ोर–ज़ोर से गाने गाना
घंटों ट्रक में धूल–मिट्टी में नहा कर बैठकों में जाना
गांव के लोगों के अनुभवों को सुनना
देर रातों को बैठकों से वापस आना
रात भर ट्रक में सफर करके इन्द्रा सागर डेम को देखने जाना
ढाबे पर सुबह 4:30 बजे पहुंचना और ढाबे वाले को उठाकर चाय बनवाना
ढाबे पर चाय वाले के बिस्तर पर माता जी का सोना
ठंड से बचने के लिए ढाबे के आस–पास लकड़ियों को इकट्ठा करना और आग जलाना
कुछ लोगों की हालत खराब होना
आपस में छोटी–छोटी बातों पर कहा सुनी होना
गिलबर्ट हिल में वहां के एक स्थानीय नेता से बहस का होना फिर उसके साथ चाय पीने जाना
एस.आर.ए फ्लैटों को करीब से देखना
धारावी की झुग्गियों में घूमना और लोगों से बात करना
वहां के लोगों के घरों में जा कर चाय पानी पीना
कम पैसे के छोटे–छोटे धंधों को धारावी की झुग्गियों में देखना
देर जुहू जा कर समूद्र किनारे मस्ती करना
ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ लाइसेंस को लेकर झड़प होना
समूह के साथ अन्य स्थानों पर घूमना
वापसी में ट्रेन यात्रा

यह सब वो बिन्दू हैं जो मुझे इस सफर की हमेशा याद दिलाएंगे। जो कि मेरी आने वाली ज़िन्दगी में काफी अहमियत रखते हैं।

मैंने क्या सीखा :– मैनें पहले भी ज़िक्र किया था कि इस तरह के विभिन्न तरह के लोगों के समूह के साथ कहीं बाहर जा कर कुछ करने का यह अपने आप में मेरा पहला अनुभव था। सफर की शुरूआत में मैंने सब कुछ हल्के में लिया था लेकिन शुरुआत में ही जिस प्रकार की घटनाएं घटने का सिलसिला हुआ तो मैं समझ गया कि काफी सतर्क रहने की आवयकता रहेगी। ज़्यादातर लोग मुझसे बड़े थे और काफी समय से काम कर रहे थे। यह मेरे लिए और भी अच्छा रहा, समूह के अन्य लोगों ने भी चाहे अनचाहे मुझे काफी कुछ सिखाया। यह सफर और समूह के लोगों का साथ मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पिछले 6 महीने के लगभग में जो साझा मंच में काम कर रहा था।

मध्य प्रदेश (नर्मदा घाटी) और मुम्बई भ्रमण

उद्देश्यः
विस्थापन के कारणों को समझना व उससे सम्बन्धित नीतियों को जानना। विस्थापन के बाद की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना।

नर्मदा घाटी भ्रमणः
हमने मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में बसे खण्डवा जिला, हारदा जिला, खगोन जिला आदि के बिछौला गांव, कर्णपुरा, पथराड़, पतेल नगर, सुल गांव में भ्रमण किया। इन सभी गांवों में लोग गांव के लोगों द्वारा मीटिंग आयोजित की गई थी। दो दिनों के भ्रमण में 4 सभाएं आयोजित की गई जिनमें लगभग 250–300 लोग प्रत्येक सभा में मौजूद थे। बिछौला गांव में, बिछौला, खरदाना, कुंवा, कमबैड़ी व कालीसराय गांव के लोग उपस्थित थे। कर्णपुरा गांव में खेड़ी बगड़ वाली, लोटिया, कर्णपुरा गांव के लोग उपस्थित थे।

सभाओं का संचालन प्रथम दिन नर्मदा बचाओ आन्दोलन के सिल्वी जी ने किया व द्वितीय दिन आलोक अग्रवाल जी ने किया। इन्होंने सभाओं के दौरान सभी क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलनों के बारे में बताया। सभाआं के दौरान उन्होंनें इंदिरा सागर बांध परियोजना, महेश्वर बांध परियोजना, मान बांध परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना व अपरवेदा बांध परियोजना के बारे में बताया।

इंदिरा सागर बांध परियोजनाः
इस परियोजना में बांध की ऊंचाई 260 मीटर है जिसके कारण 2.5 लाख एकड़ ज़मीन डूब क्षेत्र में आ रही है जिसमें 1 लाख एकड़ ज़मीन में केवल जंगल ही है। इस पूरे क्षेत्र में 25 लाख की आबादी है लेकिन सर्वे में केवल 40 हज़ार लोगों को ही दर्शाया गया है।
इस बांध का सबसे ज़्यादा असर हारदा जिले में स्थित हरसूद शहर पर पड़ा जिसमें 25,000–30,000 परिवार बसे थे। उनको 28 जून 2004 को नोटिस दिया गया और कहा गया कि वे दो दिन के अन्दर अपने घर तोड़ देते हैं तो उन्हें 25,000 रु. मुआवज़े के तौर पर दिये जाएंगे। यदि गांववासी ऐसा न करें तो उनके घर बुलडोज़रों से ध्वस्त कर दिये जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। दो दिन के नोटिस पर एक खुशहाल गांव को उजाड़ दिया गया।

महेश्वर बांध परियोजनाः
इस परियोजना के कारण 61 गांवों के डूबने का खतरा हे। बांध को रोकने के लिए संघर्ष 1997 से शुरू हुआ है। आन्दोलन के शुरू में 10 जनवरी 1996 को 10,000 लोगों ने मिलकर बांध पर कब्जा कर लिख व किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लोगों का संघर्ष आज भी ज़ारी है।

सरदार सरोवर बांधः
नर्मदा बचाओ आन्दोलन की शुरूआत इसी परियोजना से 1994–95 में हुई थी। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक भी लगाई थी।

अपरवेदा बांध परियोजनाः
इस परियोजना के तहत 14 गांवों के डूबने का खतरा है।

मान बांध परियोजनाः
इस परियोजना के अन्तर्गत 17 गांव डूब क्षेत्र में हैं।

भ्रमण के दौरान सकारात्मक पहलू

- लोग सामूहिक होकर लड़ते हैं।
- संघर्ष में केवल एक वर्ग नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव व परिवार का प्रत्येक सदस्य सक्रिय भागीदारी निभाता है।
- स्थानीय निकायों (पुलिस, कलैक्टर आदि) के दबाव का भी लोगों के संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पुलिस के अत्याचार के बाद भी लोग अपने संघर्ष में ज्यों के त्यों खड़े हैं।
- लोगों को संघर्ष से सम्बन्धित सभी आंकड़े जुबानी याद हे जो उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं
- आन्दोलन को चालू रखने के लिस वित्तीय साधनों के लिए दूसरों (बाहरी) पर निर्भर नहीं है।
- आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका प्रमुख नज़र आती है जो किसी भी आन्दोलन की ताकत लगती है।
- सभाओं के दौरान लोगों ने समय को कोई महत्व नहीं दिया और रात में 12 से 1 बजे तक की मीटिंग में बैठे।
- आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने केवल नर्मदा घाटी के विसापन को ही नहीं बल्कि हमारे शहर में भी हो रहे विस्थापन के विरोध में हमारे संघर्ष में पूर्ण भागीदारी का आश्वासन दिया।

सीमायें

- कुछ दलाल तरह के लोग निजि स्वार्थ के लिए सभा की चर्चा को भटका रहे थे।
- गांव की सभाओं के दौरान युवा साथियों की भागीदारी कम थी।

सीख

- पुलिस की प्रताड़ना सहने के बावजूद लोगों का संघर्ष आज भी जारी है।
- संघर्ष के दौरान आंदोलन छोटे–छोटे रूप में न होकर सामूहिक रूप में रहा है।

मुम्बई भ्रमणः

हम मुम्बइ शहर में अन्धेरी, नवपाड़ा व धारावी की झोपड़–पट्टी में घूमे। इन क्षेत्रों की बस्तियों में समय का उद्देश्य था कि मुम्बई शहर की पुनर्वास की नीति को समझना। बस्तियों के भ्रमण के अतिरिक्त हमने टैक्स्टाइल्स मिलें भी देखीं जो अब बन्द हो चुकी है।

मुम्बई की बस्तियों को भ्रमण से पहले हमें CI2 के सचिव मदन नायक जी ने मुम्बई के इतिहास के बारे में बताया कि मुम्बई की आबादी 1 करोड़ 35 लाख है जिसमें से 78 लाख लोग झोपड़–पट्टी में रहते हैं। कुछ लोग कच्ची कालोनियों में रहते हैं। केवल 25 लाख लोग ही अच्छे मकानों में रहते हैं। 1982 में विश्व बैंक का एक प्रोजेक्ट आया जिसे ''चार कोक'' का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत मुम्बई सरकार को 228 करोड़ रुपये मिले तथा लोगों को 40 वर्ग मीटर का प्लॉट 8 हज़ार रुपये में दिया गया। मुम्बई शहर में 19,600 इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी गिर सकती हैं जिनमें लगभग 20,00,000 (बीस लाख) की आबादी है।

उसके बाद उन्होंने ''स्लम रिहेबिलीटेशन स्कीम'' के बारे में बताया। सारी चर्चा सुनने के बाद जो भी सकारात्मक पहलू नज़र आये वे इस प्रकार हैंः

- बस्ती में रहने वाले लोगों को फ्लैट की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती जिससे वे आसानी से फ्लैट पा सकते हैं।
- लोगों को बस्ती के स्थान पर ही फ्लैट बनाकर दिये जा रहे हैं जिससे इनके रोज़गार, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं जैसे बस, सड़क, पानी, नाली की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता।
- 10 साल बाद मालिकाना हक मिलने की बात इसमें है। फ्लैट मिलने के बाद लोगों के राशन कार्ड की श्रेणी नहीं बदली।

इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों को फ्लैट बनाने का ठेका दिया था जिसमें प्राइवेट बिल्डरों ने बस्ती के लोगों से कुछ लिया तो नहीं था लेकिन बस्ती की पूरी ज़मीन में से उन्होंने 25% हिस्सा (ज़मीन का) बस्ती के लोगों के लिए फ्लैट बनाने के लिए प्रयोग किया व शेष 75% हिस्से पर उन्होंने निजि लाभ हेतु फ्लैट बनाये।

इस योजना के कुछ नकारात्मक पहलू इस प्रकार है:

- बिल्डर निजी मुनाफे वाले हिस्से को तो जल्दी तैयार कर रहे हैं लेकिन बस्ती के लोगों के लिए बनने वाले फ्लैटों में देरी होती है।
- ज़मीन का बंटवारा न्योयोचित नहीं लगा।
- फ्लैट का आबन्टन दिल्ली की नीति के अनुसार ही 1998 तक के कागज़ात के आधार पर ही किया जाता है।
- फ्लैट के कागजात मिलने की अवधि 10 वर्ष है। यदि इस बीच फ्लैट मिलने वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो उसके पास फ्लैट के कागज़ात न होने के कारण वह किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता।
- बस्ती में रहने वाले व्यक्ति का फ्लैट में जाने के बाद वहां रहने के खर्चे बढ़ जाते हैं। उन्हें वहां रख–रखाव का खर्च भरना पड़ता है, बिजली, पानी के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वहां रहना कठिन हो जाता है।
- पूरी सोसायटी में सामुदायिक सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है।

मुम्बई में फ्लैट व झोपड़–पट्टी के भ्रमण के दौरान हमारे साथ ''डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया'' (Democratic Youth Federation of India) के कार्यकर्ता 'नारायण' व 'शेखावत' भी थे।

फ्लैटस में भ्रमण के दौरान लोगों के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश:

- हमें फ्लैट में कोई दिक्कत नहीं है। हमने फ्लैट खरीदा है। हमारे पास पैसा है। हम हमारे बच्चों के लिए भी खरीद लेंगे (ऐसी महिला जिसने फ्लैट किसी से खरीदा था व इसकी प्राइवेट बसें व टैक्सियां चलती हैं)।
- अभी तो कोई खास दिक्कत नहीं है पर जब बच्चे की शादी करेंगे तब बेटे और बहु को कहां रखेंगे यही सोचते हैं क्योंकि फ्लैट की जगह तो पहले ही छोटी है और कमरे के बीच में तो दीवार भी नहीं बना सकते और न ही ऊपर ही कुछ बना सकते हैं (एक दम्पति)।
- यहां आने के बाद हमारे खर्चे बढ़ गये हैं। लिफ्ट दिन में सिर्फ 2 टाईम ही काम करती है, सुबह और शाम को। हमें दिन में जब भी बाज़ार जाना पड़ता है तो छठे माले से सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। एक तो हम पहले ही थकी होती हैं ऊपर से 6–6 माले चढ़ना और उतरना

और मुश्किल पड़ता है। जबकि हर महीने हमसे रख–रखाव के लिए 200 रु. भी लेते हैं तब भी (घरेलू काम काजी महिलाएं)!!

मुम्बई की बस्तियों एवं एस.आर.ए. योजना के अन्तर्गत बने फ्लैटस का भ्रमण करते समय हमें अंधेरी में स्थित नवपाड़ा में बनाये फ्लैटस, जो सहकारी समिति के अन्तर्गत बनाये गये थे, ज़्यादा बेहतर लगे क्योंकि उनमें फ्लैटस का नक्शा ज़्यादा अच्छा था व लोगों ने अपार्टमेंट में पार्किंग व सामुदायिक केन्द्र के लिए भी जगह रखी थी। यहां का सामुदायिक केन्द्र अपार्टमेंट के अन्दर था जिससे लोगों को छोटे–मोटे कार्यक्रमों के लिए जगह की कोई दिक्कत नहीं होती।

बस्ती भ्रमण के दौरान हम धारावी की झोपड़–पट्टी में भी गये जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़ पट्टी है। भ्रमण के दौरान लोगों से बातचीत की कि यदि उनकी झोपड़–पट्टी के स्थान पर फ्लैटस बनाकर दे दिये जायें तो क्या उन्हें मन्जूर है। उस पर लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी वे इस प्रकार हैः

- झोपड़–पट्टी में हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं लेकिन फ्लैट में हम अपना काम नहीं कर पायेंगे इसलिए हमें फ्लैट नहीं चाहिए (बुनकर निवासी)।
- ''आज इस झोपड़–पट्टी में अगर हमारे बच्चों की शादी होती है तो हम उसके लिए झोपड़ी के ऊपर एक और झोपड़ी डाल सकते हैं लेकिन फ्लैट में जाने के बाद हमें अपने बच्चों के लिए अलग से एक और फ्लैट लेना पड़ेगा जिसकी हमारी हैसियत नहीं है।'' (एक वृद्ध दम्पति जो कि अपने झोपड़े में ही कपड़े का काम कर रहे थे)।

लोगों के साथ बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि कोई भी फ्लैट में जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि धारावी में उनके बलए घर, रोज़गार, बुनियादी सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि तथा अन्य सुविधाएं बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध होती है।

धारावी के बाद हम उन क्षेत्र में गये जहां कभी टैक्सटाईल्स मिलें खड़ी थी लेकिन आज वे सब बन्द हैं।

मुम्बई से आते समय 'बान्द्रा टर्मिनल' पर दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक हवलदार को फटकारा क्योंकि उसने बस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस यह कहकर छीन लिया था कि बस 'नो एन्टरी' में खड़ी है और उसने खुले आम उससे रिश्वत की मांग की। लेकिन जब सभी कार्यकर्ताओं ने वहीं पर प्रदर्शन शुरू किया और उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू की तो उसने डर से उसका लाइसेंस वापिस किया और माफी भी मांगी।

ऐसी रही हमारी मुम्बई यात्रा।

यात्रा

दर्शना – भलस्वा लोक शक्ति मंच
यू.एन.डी.पी
साझा मंच बाहरी सम्पर्क यात्रा
मुम्बई व नर्मदा घाटी

दिल्ली से साझा मंच के नेतृत्व ने यु.एन.डी.पी प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा घटी और मुम्बई में हुए पुनर्वास की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे।

खण्डवा में पहुंच कर हमारे जत्थे ने नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल और सिल्वी के साथ मुलाकात की। नर्मदा घाटी पर बन रहे बांध और बांध के बनने से हो रहे पुनर्वास पर विस्तार से चर्चा की।

चर्चा के बाद हम लोग डूब क्षेत्र में आ रहे गांव बिछौला गये तथा वहां के स्थानीय रहवासी किसानों से बात की। उनके संघर्ष के बारे में जाना तथा हमने अपने दिल्ली के संघर्ष के बारे में उन लोगों के सामने बात रखी। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कितने संघर्ष किए। उसमें कुछ लोगों ने धरना रखा, कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे, कुछ लोग अपने खेत में पानी के अंदर खड़े रहे और सर से ऊपर पानी चढ़ गया। फिर भी वहां के लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा। इसके चलते सरकार को झुकना पड़ा और बांध का काम रोकना पड़ा। दूसरी सीख हमें और मिली कि हर गांव का फासला 10 कि.मी से 20 कि.मी तक की दूरी पर है। फिर भी लोग बांध का काम रोकने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जिससे उनके घर व खेत बच सके। इन्दिरा सागर का डैम देखा। इससे हमें ऐसा लगा कि ऐसे में पूरी नर्मदा घाटी में स्थित शहर डूब जाएगा जोकि बिल्कुल गलत है। सरकार ने जो बिजली नीति बनाई है वो गलत है। वो बिजली किसके लिए जो गरीबों के हक में नहीं है। ये विदेशी लोगों के लिए तैयार हो रही है जिससे उनका कारोबार चल सके और इस देश में उनका राज चल सके। ऐसे कहां कि नीति है कि एक शहर उजाड़ कर विदेशियों को बसाने की रणनीति बनाई जाती है। हम इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे।

हमारी टीम मुम्बई गई। अन्धेरी में रुके। वहां पर कामरेड नारायण ने एक मीटिंग रखी। उन्होंने मुम्बई पुनर्वास के बारे में बताया। लोग पहले खोली में कैसे रहते थे और क्यों आए। क्योंकि वहां पर कपड़ों की मिलें थी, उसमें वे लोग काम किया करते थे। लेकिन अब मिले बन्द हो गई तो उनसे खोली खाली करा ली गई। तब उन्होंने झुग्गियां डाली। कुछ लोग झुग्गियों में 40 साल से रह रहे थे। उनको सरकार ने ज़मीन खाली कराके बहुमंज़िल मकान बना कर दिए हैं। और उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। रोज़गार भी उनका वहीं है। जन सुविधा की व्यवस्था नहीं है। जो मकान उनको मिला है किसी को मालूम नहीं है कि उसमें मैटेरियल कैसा लगा है। कितने दिन की अवधि है। इसके लिए हम लोगों को मकान देख कर ये चिन्ता है कि रेड़ी पटरी वाला उसको अपनी रेड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। दूसरा ऊपर फ्लैट पर पानी नहीं पहुंच पाता इससे भी बहुत परेशानी है। सबसे बड़ी दिक्कत बुजुर्गों की है क्योंकि लिफ्ट बन्द हो जाने से आए दिन बड़ी परेशानी होती है। हमें सफर बहुत अच्छा लगा और हर संस्थाओं के लोगों से मिलने का मौका मिला। जो पुरुष लोग जत्थे में थे वे महिलाओं का खास ध्यान रख रहे थे। हर चीज का समय–समय पर इन्तज़ाम किया जाता था।